संख्या-159/2026/1633/सैंतीस-2-2026-2050095

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषयः-मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) की कार्य योजना एवं निहित वित्तीय उपाशय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) की कार्य योजना एवं निहित वित्तीय उपाशय के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाना है:-

1- योजना का औचित्य/उद्देश्य-

प्रदेश में उपलब्ध पशुधन संख्या के सापेक्ष विभिन्न वर्गो के अधिकाधिक पशुओं को पशुधन बीमा से आच्छादित/लाभान्वित करने हेतु भारत सरकार के नेशनल लाइवस्टाक मिशन (एन.एल.एम.) अन्तर्गत क्रियान्वित जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) क्रियान्वित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत पशुधन बीमा प्रीमियम की समस्त धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 85 प्रतिशत एवं लाभार्थी द्वारा 15 प्रतिशत की धनराशि वहन किया जाना है, जिससे भारत सरकार पर निर्भरता कम होगी।

2- कार्य-योजनाः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.1- योजना की आधारभूत आवश्यकता-

(1) पशुपालकों की आर्थिक क्षति से सुरक्षा एवं पशुओं की पोषण हेतु पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत पशुओं का बीमाकरण करना। जिसके फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में अभिवृद्धि होगी।

(2) पशु मृत्यु के बाद पारदर्शी प्रक्रिया से दावे की धनराशि का सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान तथा पी0टी0डी0 (पूर्ण स्थाई विकलांगता) प्रकरणों में बीमित राशि के 75% तक की धनराशि का दावा भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

(3) यह कार्यक्रम पूर्णतः पशुपालक के पशुओं की मृत्यु की दशा में होने वाली आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

(4) योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं डेयरी उन्मुख योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित पशुओं के बीमाकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.2- योजना का क्रियान्वयन-

योजना उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपद में क्रियान्वित किया जायेगा। योजना निम्नानुसार विभिन्न घटकों के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई के अनुरूप किया जाना है:-

(अ)- प्रशासनिक नियंत्रण

उ0प्र0 शासन अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन के नियंत्रणाधीन प्रशासनिक विभाग के रूप में पशुधन विभाग के साथ-साथ निदेशालय स्तर से निदेशक, प्रशासन एवं विकास तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद् द्वारा योजना के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(ब)- क्रियान्वयन इकाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद लखनऊ।

(2) मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, ग्रेड-2/वरिष्ठ जोन प्रबन्धक, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद।

(3) जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद।

(4) स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी एवं मैत्री के माध्यम से।

(5) उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद् द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से समस्त/उपयुक्त चयनित बीमा कम्पनियां एवं इण्टरमीडियरी।

(स)- क्रियान्वयन रणनीति-

(1) योजना के क्रियान्वयन अन्तर्गत प्रदेश को विभिन्न क्लस्टर्स में विभक्त किया जाएगा।

(2) पशुधन बीमा हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त बीमा कम्पनियों एवं इण्टरमीडियरी का निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप चयन किया जाएगा।

(3) चयनित बीमा कम्पनियों की संख्या के सापेक्ष क्लस्टर्स में निर्धारित पशुधन संख्या के अनुरूप अनुपातिक रूप में पशुधन बीमा हेतु पशुओं की संख्या का आवंटन किया जाएगा।

(4) उच्च दुग्ध उत्पादन एवं अधिक प्रजनन करने वाले पशुओं के बीमाकरण पर अधिक जोर दिया जाएगा।

(5) बीमा कराने के लिए लाभार्थी अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करेंगे।

(6) यूनिक टैग नम्बर द्वारा बीमित पशु की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

(7) बीमित पशु के मूल्य का आकलन नस्ल, स्वास्थ्य स्कोर, दुग्ध अवस्था, उत्पादकता, स्कोर कार्ड द्वारा आकलन किया जायेगा।

(8) उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी होंगे तथा योजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभिन्न कार्यो का सम्पादन राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों (मण्डल स्तर पर/अपर निदेशक, ग्रेड-2/वरिष्ठ जोन प्रबन्धक, पशुपालन विभाग, जनपद स्तर पर, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद, स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी) द्वारा पशुमित्रों/मैत्री/पशु सखी/पैरावेट के सहयोग से सुनिश्चित् किया जायेगा।

(9) बीमाकृत पशुओं की टैगिंग-पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, पशुमित्रों/मैत्री/पशु सखी/पैरावेट/ POS (Point of Sale) द्वारा किया जायेगा।

(10) योजना में समस्त दुग्ध उत्पादक संस्थाओं एवं एन0जी0ओ0, आदि द्वारा भी सहयोग किया जायेगा।

(11) उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद के माध्यम से सरल फण्ड फ्लो सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक पशु/पशु इकाई के न्यूनतम एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के बीमा हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता/अनुदान देय होगा। पशुपालक परिवार को 02 एवं 03 वर्षों के लिये पशु बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जाना होगा, ताकि उन्हें योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2021 में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप बीमाकरण आरम्भ करने की स्थिति में जेम द्वारा चयनित बीमा कम्पनी की मांग के सापेक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अग्रिम 03 माह में सम्भावित अधिकतम बीमाकरण के प्रीमियम की धनराशि को अग्रिम भुगतान के रूप में प्रदान किया जा सकेगा, जिससे पशुपालक का अंश प्राप्त होने के बाद उक्त तिथि से सम्बन्धित पशु को बीमा कवर प्रदान किया जा सके।

हर जिले में विभागीय पशु चिकित्साधिकारियों को प्रति पशु बीमाकरण हेतु मानदेय रु0 50.00 प्रति पशु बीमाकरण के समय (स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करने का मानदेय) दिया जायेगा। बीमित पशु की मृत्यु की दशा में उसके पोस्ट मार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु रु0 125.00 प्रति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पशु का मानदेय दिया जायेगा। प्रत्येक दशा में शव विच्छेदन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जायेगा।

(12) प्रदेश के समस्त जनपदों में ए.पी.एल./बी.पी.एल./एस.सी./एस.टी. के लाभार्थियों हेतु राज्यांश 85 प्रतिशत तथा लाभार्थी का अंश 15 प्रतिशत निर्धारित है।

(13) वस्तु एवं सेवा कर (नियमानुसार)।

(14) यद्यपि सभी बी0पी0एल0 वर्ग/एस.सी./एस.टी. वर्ग के लाभार्थियों को बीमाकरण हेतु प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(15) उत्तर प्रदेश, शासन के पत्रांक-3519/12-प-2-99-30(3)/99 दिनांक 19.01.2000 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र बड़े पशुओं के लिए रू0 15.00 एवं छोटे पशुओं के लिए रू0 05.00 तथा शव-विच्छेदन प्रमाण-पत्र बड़े पशुओं के लिए रू0 30.00 तथा छोटे पशुओं के लिए रू0 06.00 लेवी (Levy) निर्धारित हैं जिसे संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त कर निर्धारित हेड में कोषागार में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) स्वदेशी पशुओं का बीमाकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, ताकि छोटे/सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा सके।

(17) पशु बीमाकरण हेतु बीमा कम्पनी द्वारा पशु स्वामी के साथ पशु एक फोटो टैग सहित, सामने से एक फोटो जिसमें उक्त पशु का टैग लगा हुआ हो साथ ही पशु के दायीं ओर, बायीं ओर एवं पूंछ की ओर (पीछे) से स्पष्ट फोटो लेना अनिवार्य है। पशु बीमाकरण प्रक्रिया में वांछित फोटोग्राफ की जिम्मेदारी इन्टरमिडियरी/बीमा कम्पनी की होगी।

(18) पशु बीमाकरण कराने हेतु पशु की टैगिंग अनिवार्य है। पशु के कान पर Unique Identity Number का टैग लगाना अनिवार्य होगा, यदि पशु के कान पर ऐसा टैग लगा है तो उस टैग को इस योजनान्तर्गत बीमा कार्य के लिये उपयोग किया जा सकता है तथा एकरूपता हेतु बार कोड युक्त 12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अंको के Unique Identity Number के प्लास्टिक के ईयर टैग को पशुपालक के आधार से लिंक किया जाना है।

(19) पशु का मूल्य योजनान्तर्गत निर्धारित Parameters के आधार पर आंकलित किया जाएगा।

(20) आच्छादन हेतु पशुओं की आयुः

क्र.सं.	पशुओं का विवरण	पशुओं की आयु
1.	दुधारू गाय	02-10 वर्ष
2.	दुधारू भैंस	03-10 वर्ष
3.	भारवाहक पशु (गधा, घोड़ा, खच्चर)	02-08 वर्ष
4.	भेड, बकरी	01-05 वर्ष
5.	सूकर	01-03 वर्ष
6.	बैल, भैंसा	03-10 वर्ष
7.	सांड़ (प्रजनन हेतु)	03-08 वर्ष
8.	गर्भित बछिया/पड़िया	01-02 वर्ष
9.	बछड़ा	06 माह से 01 वर्ष

(21) पशुओं के प्रस्तावित मूल्य-

पशु वर्ग	नस्ल	अधिकतम मूल्य
वर्गीकृत नस्ल (भैस)	मुर्रा, भदावरी,	रु 75,000.00 तक
गैर-विवरणित नस्ल (भैस)	अन्य नस्ल	रु 50,000.00 तक
वर्गीकृत नस्ल (गाय)	साहीवाल, गिर, विदेशी, क्रॉस ब्रीड,	रु 65,000.00 तक
	गंगातीरी, थारपारकर, हरियाणा	रु 60,000.00 तक
गैर-विवरणित (गाय)	अन्य नस्ल	रु 40,000.00 तक
भेड, बकरी, सूकर		रु 6500.00 तक
पंजीकृत प्रजनन बैल		रु 40,000.00 तक
गर्भित बछिया/पड़िया		रु 25,000.00 तक
बछड़ा		रु 10,000.00 तक
अश्व प्रजाति		रु 60,000.00 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भारवाहक पशु (बैंल, भैंसा, गधा, खच्चर, टट्टू एवं ऊँट)	रु 20,000.00 तक

(22) योजनान्तर्गत प्रत्येक पशुपालक को उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकतम मूल्य सीमा तक 85 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी एवं प्रदेश में अन्य योजनाओं से सम्बन्धित पशुओं के बीमाकरण हेतु उपरोक्त अधिकतम निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त मूल्य पर पूर्ण प्रीमियम (जेम पोर्टल द्वारा प्राप्त दरों पर) पशुपालक द्वारा भुगतान कर पशु बीमाकरण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(23) पशु को बेचे जाने की दशा में वैद्य अवधि हेतु पशु बीमा का हस्तांतरण क्रेता के पक्ष में पूर्व सूचना एवं रू0 50/- शुल्क देकर कराया जा सकता है।

(24) पशु मृत्यु की दशा में अविलम्ब सूचना सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी, मैत्री/पैरावेट/POS (Point of Sale)/बीमा कम्पनी/इण्टरमीडियरी के अधिकृत प्रतिनिधि को दी जानी होगी।

(25) पशु की मृत्यु उपरान्त अधिकतम 24 घण्टे तक पशु के शव को बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के निरीक्षण हेतु रखना होगा।

(26) पशु चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर शव-विच्छेदन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(27) पशु मृत्यु के बाद पालिसी, शव-विच्छेदन प्रमाण-पत्र (राजकीय पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत), दावा फार्म, एवं मृत पशु का टैग (बीमा कम्पनी द्वारा अधिकृत अन्वेषक के माध्यम से) को बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त कराकर अधिकतम 30 दिन के अन्दर प्रत्येक दावे का निस्तारण करना अनिवार्य होगा।

(28) योजनान्तर्गत पी0टी0डी0 प्रकरणों में दावा भुगतान के समय 75 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा।

(29) बीमा कम्पनी द्वारा टैंगिग एवं निर्धारित मोबाईल एप के माध्यम से फोटोग्राफी का कार्य मैत्री/पैरावेट/पशु सखी/POS (Point of Sale)/ पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी/फार्मासिस्ट बीमा कम्पनी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। निर्धारित मोबाईल एप के माध्यम से बीमाकरण करने पर उन्हें बीमा कम्पनी द्वारा प्रति बीमाकरण रू0 70.00 की दर से भुगतान किया जायेगा। टैंगिग किये गये पशु के फोटोग्राफ संबंधित एप पर अपलोड किये जायेगे। वर्षवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बीमाकरण प्रगति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बीमा कम्पनी/ इण्टरमीडियरी की होगी। लाभार्थी प्रीमियम अंश बीमा कम्पनी के खाते में जमा कराना पूर्ण रूप से पशुपालक एवं POS (Point of Sale) की जिम्मेदारी होगी।

(30) बीमा कवर का लाभ समस्त आवश्यक प्रपत्रों के डिजिटल रूप से निर्धारित मोबाईल एप पर अपलोड होने व बैंक में प्रीमियम राशि जमा होने के 21 दिन बाद ही प्रारम्भ होगा परन्तु किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसी आरम्भ होने के प्रथम दिन से ही बीमा का लाभ मिलेगा।

(31) योजनान्तर्गत भूमिहीन/सीमान्त/लघु किसानों/बी.पी.एल./एस.सी./ एस.टी. वर्ग एवं महिला पशुपालकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाये तथा पशुपालक परिवार को दो/तीन वर्षों के लिए पशु बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जायें ताकि उन्हें योजना का अधिकतम लाभ मिल सकें।

(32) योजनान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी बीमा कम्पनी/इण्टरमीडियरी की होगी, पशुचिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व भारत पशुधन एप पर पंजीकरण की अनिवार्य रूप से जांच करके ही पशुधन बीमाकरण करना होगा।

(33) स्वास्थ्य प्रमाण में दावा निस्तारण के दिशा-निर्देश पर पशुपालक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिया जायेगा ताकि पशुपालक को दावा निस्तारण के दिशा-निर्देश की जानकारी रहे जिससे दावा निस्तारण के समय पशुपालक को परेशानी का सामना न करना पड़े।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(34) नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित 03-योजनायें-मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संर्वधन योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना एवं नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना में क्रमशः 02, 10 एवं 25 स्वदेशी गायों का उपार्जन गो सम्वर्धन एवं पालन पोषण हेतु किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार द्वारा लगभग 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है जिसमें पशुओं का बीमा कराया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजनान्तर्गत अधिकतम 01-पशुपालक हेतु 10-पशुधन इकाई का ही बीमा किये जाने के निर्देश है, जिसके फलस्वरूप नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना जिसमें 25 स्वदेशी गोवंश का उपार्जन किया जाना है, वे पशुपालक भारत सरकार के इस पशुधन बीमा योजना से वंचित हो रहे है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के समस्त लाभार्थियों के गौवंश के साथ-साथ अन्य पशुपालकों के पशुओं को भी पशुधन बीमा से आच्छादित करने के दृष्टिगत नवीन योजना मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (रा0यो0) में विभिन्न मानक मदों में धनराशि की मांग किया जाना है।

(35) पशु दावा निस्तारण हेतु मण्डलवार कमेटी रखी गयी हैः-

(i) Additional Director, Department of Animal Husbandry, UP.
(ii) Chief Veterinary Officer (commissionerate district).
(iii) Nodal Officer- Veterinary Officer/Deputy Chief Veterinary Officer (Commissionerate district).
(iv) One representative/person nominated by the Insurance Company.

3- योजना का वार्षिक भौतिक लक्ष्य-

3.1- उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना में वर्तमान में 10 लाख पशुधन इकाई का वार्षिक पशुधन बीमाकरण, बीमा कम्पनी के द्वारा कराये जाने का लक्ष्य है, जिसमें आगामी वर्षो में उतरोत्तर उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान मे प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न मदों में लक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रं0सं0	मद	पशुधन बीमा का लक्ष्य (पशुधन इकाई)
1	सामान्य	8,00,000
2	एस0सी0एस0पी0	2,00,000
योग		10,00,000

3.2 योजनान्तर्गत आच्छादित पशुः-

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) अन्तर्गत अधिकतम 25 बड़े पशु इकाई प्रति परिवार/पशुपालक का पशुधन बीमाकरण किया जाना है।

बड़े पशु	स्वदेशी/संकर दुधारू पशु, भारवाहक पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं भैसा/सांड़)	25 पशु इकाई प्रति परिवार
छोटे पशु	सूकर	125 पशु इकाई प्रति परिवार (प्रतिबन्धित समतुल्य 05 बडे पशु इकाई)
छोटे पशु	बकरी, भेड़	250 पशु इकाई प्रति परिवार (प्रतिबन्धित समतुल्य 10 बडे पशु इकाई)
* (01 बड़ा पशु इकाई = 10 छोटा पशु इकाई)		

4- वित्तीय उपाशयः-

4.1- योजना

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) क्रियान्वित किये जाने के अन्तर्गत पशुधन बीमा प्रीमियम की समस्त धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 85 प्रतिशत एवं लाभार्थी द्वारा 15 प्रतिशत की धनराशि वहन किये जाने के सापेक्ष आकलित/प्रस्तावित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

Estimated Cost per Unit		Rs. 50000.00	State Share (85%)	Beneficiary Share (15%)
Average Premium Rate		Premium Amount		
A	One Year (4.5% of Estimated Cost)	Rs. 2250.00	Rs. 1913.00	Rs. 337.00
B	Two Year (8% of Estimated Cost)	Rs. 4000.00	Rs. 3400.00	Rs. 600.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

C	Three Year (11% of Estimated Cost)	Rs. 5500.00	Rs. 4675.00	Rs. 825.00

4.2- सामान्य मद (बीमा प्रीमियम)

(Rs. in lakh)

S.No	Description	Physical Target	Total Estimated Premium Amount	Estimated State Share	Beneficiary Share
1	Total target (Estimated cost per unit Rs. 50000.00)	8,00,000			
2	Average premium rate 4.5% for one year Rs. 2250.00 (State Share 85% Rs. 1913.00)	5,60,000 (70% of total target)	12600	10710	1890
3	Average premium rate 8% for two year Rs. 4000.00 (State share 85% Rs. 3400.00)	80,000 (10% of total target)	3200	2720	480
4	Average premium rate 11% for three year Rs. 5500.00 (State Share 85% Rs. 4675.00)	1,60,000 (20% of total target)	8800	7480	1320
Total			24600	20910	3690

4.3- एस0सी0एस0पी0 कम्पोनेन्ट (बीमा प्रीमियम)

(in lakh Rs.)

S.No	Description	Physical Target	Total Estimated Premium Amount	Estimated State Share	Beneficiary Share
1	Total target of 75 districts (Estimated cost per unit Rs. 50000.00)	2,00,000			
2	Average premium rate 4.5% for one year Rs.	1,40,000 (70% of total	3150.00	2677.50	472.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	2250.00 (State share 85% Rs. 1913.00)	target)			
3	Average premium rate 8% for two year Rs. 4000.00 (State share 85% Rs. 3400.00)	20,000 (10% of total target)	80.00	68.00	12.00
4	Average premium rate 11% for three years Rs. 5500.00 (State share 85% Rs. 4675.00)	40,000 (20% of total target)	2200.00	1870.00	330.00
	Total		5430.00	4615.50	814.50

5- योजना का अनुश्रवण-

योजना का अनुश्रवण निम्नलिखित स्तर से किया जायेगा:-

(1) जनपद स्तर से मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपदीय नोडल अधिकारी (मासिक)

(2) मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग (मासिक)

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद् एवं परिषद् मुख्यालय पर योजना के क्रियान्वयन हेतु पदस्थ प्रभारी अधिकारी। (त्रैमासिक)

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग लखनऊ।(त्रैमासिक)

(5) शासन स्तर के अधिकारियों द्वारा। (छः माह)

2. योजना के सम्बन्ध में एस0ओ0पी0 एवं योजना की विस्तृत गाइडलाइन्स पृथक से निर्गत की जायेगी।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-159/2026/1633/सैंतीस-2-2026तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।